

नं. १०००/२०१८

मुख्य हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

में निर्णित हो चुका है अतः इन
 प्राप्तर अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज
 फरमाया जाये। अब भूमि वाद ही
 खारीज हो चुका है तो इस प्राप्तर
 अस्थाई को आगे चलाने का कोई
 औचित्य नहीं है। अतः प्राप्तर अस्थाई
 निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारीज
 किया जाता है। पत्रावली फंडामेंटर
 होकर नम्बर से कम हो बाद तमकी
 दाखिल फरमा हो।

for
 (रणजीत सिंह)
 RAS
 मखण्ड अधिकारी
 सण्डेला (सीकर)

मय